राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान

क्रमांकः प.25(75) पार्ट.–I/परि/कम्प्यू/2016/7962 जयपुर, दिनांकः 18/3/19

कार्यालय आदेश संख्या 05/2019

विषयः– **डिजीलॉकर के माध्यम से प्रस्तुत ड्राईविंग लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को डिजिटल आईडेन्टिटी के रूप मे मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र क्रमांक 3(14)/2015–EG (II), दिनांक 18.07.2018 एवं सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी SOP दिनांक 17.12.2018।**

इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डिजीलॉकर नियम, 2017, अधिसूचना संख्या **GSR 711(E) दिनांक 21 जुलाई 2016** द्वारा पारित किए जाकर दिनांक 04.10.2016 को डिजीटल लॉकर ऑथोरिटी का गठन किया गया। डिजीटल लॉकर दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों के डिजीटल फॉर्म में संग्रहण तथा प्रमाणन हेतु सुरक्षित स्थान है। इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से डिजिलॉकर (Digilocker) पर ड्राईविंग लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का डिजिटल विवरण संग्रहित करने का प्रावधान उपलब्ध है।

सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी आमजन के उपयोग के लिए एमपरिवहन (mParivahan) मोबाईल एप उपलब्ध करवाई गयी है जिसमें नागरिकों द्वारा अपने चालक लाईसेंस एवं वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र की डिजिटल प्रति संग्रहित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त एमपरिवहन (mParivahan) मोबाईल एप में वाहन की फिटनेस, बीमा एवं परमिट की वैधता वास्तविक समय आधार (real time basis) पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। डिजिलॉकर (Digilocker) अथवा एमपरिवहन (mParivahan) मोबाईल एप में उपलब्ध ईलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2016 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना GSR 111(E) दिनांक 08.02.2017 के अनुसार विधिक रुप से मूल दस्तावेजों के समतुल्य है।

अतः डिजिटल स्वरुप में दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों की स्वीकार्यता के संबंध में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं–

1. आम जन द्वारा डिजिलॉकर (Digilocker)/एमपरिवहन (mParivahan) एप में प्रस्तुत किये गये डिजिटल चालक लाईसेंस एवं डिजिटल वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र मूल दस्तावेजों के

समतुल्य एवं विभाग द्वारा स्मार्ट कार्ड अथवा कागज पर जारी दस्तावेजों के समान माने जावें।

2. एमपरिवहन (mParivahan) एप में उपलब्ध वाहन की फिटनेस, बीमा तथा परमिट वैधता तिथि के प्रभावी होने की स्थिति में वैधता तिथि के सत्यापन हेतु इनसे संबंधित दस्तावेजों की भौतिक प्रति (physical copy) प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
3. एमपरिवहन (mParivahan) एप में उपलब्ध वाहन की फिटनेस, बीमा तथा परमिट वैधता अद्यतन नहीं होने की स्थिति में नागरिकों द्वारा इनसे संबंधित दस्तावेजों की भौतिक प्रति (physical copy) प्रस्तुत करने पर भौतिक प्रति (physical copy) में अंकित वैधता मान्य होगी।
4. प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा मोटरयान अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत चालक लाईसेंस अथवा पंजीयन प्रमाण पत्र को जब्त किये जाने की आवश्यकता होने की स्थिति में यह आदेश प्रभावी नहीं होगें।

संलग्न : संदर्भित पत्र दिनांक 18.07.2018, 08.08.2018
एवं दिनांक 17.12.2018।

(राजेश यादव)
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांकः प.25(75) पार्ट.–I/परि/कम्प्यू/2016/7963-72 जयपुर, दिनांकः 16/5/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
3. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, यातायात, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर ....।
6. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक ....।
7. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
8. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी ....।
9. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक